न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 03/2020

प्रार्थी– राजूराम पुत्र देरामाराम जाति जाट निवासी रतासर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. सरपंच, ग्राम पंचायत रतासर पंचायत समिति चौहटन जिला बाड़मेर
2. मोडाराम पुत्र वन्नाराम जाति जाट निवासी रतासर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध प्रस्ताव सं. 04 दिनांक 21.05.2018 जिसके तहत अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत रतासर द्वारा पट्टा संख्या 25 दिनांक 24.05.2018 जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 29.06.2022

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत रतासर द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम रतासर में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 25 दिनांक 24.05.2018 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टे के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 300 वर्गगज दर्शाया गया है। उक्त पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:18:56 IST
Reason: SelfAttested

Low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत रतासर का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी गांव रतासर तहसील चौहटन का मूल व स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का भूखण्ड मौजा रतासर की आबादी भूमि के खसरा नंबर 451/181 में आया हुआ है, जिसका नाप 60 गुणा 80 कुल 4800 वर्गफीट है। इस भूखण्ड के पूर्व में डामर सड़क, पश्चिम में खाली आबादी भूमि, उत्तर दिशा में फूसाराम पुत्र देरामाराम का प्लॉट तथा दक्षिण में खातेदारी जमीन अवस्थित है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का लगातार कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है तथा उसके द्वारा ईंटों का कमरा बना हुआ है तथा भूखण्ड के चारों तरफ चीणें रोपकर तारबंदी की हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलीभगत करते हुए प्रार्थी के प्रश्नगत भूखण्ड में से 45 गुणा 60 वर्गफीट का पट्टा संख्या 25 दिनांक 24.05.2018 को जारी करवा दिया। उक्त पट्टा जारी करने में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्थानी पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियमों व शर्तों की भारी अनदेखी की गई है। प्रकरण में विवादित पट्टा जारी करने में किसी भूमि/परिसर पर वर्ष 2003 तक व्यक्ति विशेष का अस्थाई संनिर्माण के रूप में आबादी भूमि पर कब्जा होना आवश्यक है जबकि पट्टा स्थल पर आदिनांक अप्रार्थी का न तो कोई कब्जा है और न ही कोई मकान/कच्चा मकान बना हुआ है। इसके विपरीत उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा एवं स्वामित्व है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में अधिनियम के नियम 157(2) के अनुसार पट्टा महिला प्रधान को जारी करने के प्रावधान का भी उल्लघंन किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का सार्वजनिक

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:18:56 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर
बाड़मेर

नोटिस चस्पा किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 2 के दवाब में आकर केवल मात्र कागजी कार्यवाही की गई है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियमों 147 एवं 148 की भी पालना नहीं की गई है जिसके तहत अपनी बैठक में अंतिम विनिश्चय पारित करना एवं प्ररूप 22 में एक नोटिस जारी सदृश्य स्थान पर चस्पा किया जाना था। अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा जारी करने में गठित पट्टा कमेटी के सदस्य जगमालराम पुत्र सिमरथाराम व गोगाराम पुत्र मालाराम ने मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके हस्ताक्षर फर्जी एवं उनकी बिना जानकारी के किये गये हैं। निगरानीकर्ता के पक्ष में उक्त कारणों से आलौच्य पट्टा पारित किया गया है जो कि निरस्त करने योग्य है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 25 दिनांक 24.05.2018 आनन–फानन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं दूषित होने से निरस्त फरमाया जावे।

4. अप्रार्थी सं. 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रकट किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में आलौच्य भूखण्ड के जिस नाप एवं पड़ौस का उल्लेख किया है वह ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में कहीं भी अवस्थित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 के आधिपत्य एवं स्वामित्व का एक भूखण्ड बनाप 60 गुणा 45 ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में अवस्थित है जिसके पड़ौस में उत्तर में फूसाराम का मकान, दक्षिण में खाली भूखण्ड, पूर्व में डामर सड़क एवं पश्चिम दिशा में खाली भूखण्ड है। इस भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 करीब 40 वर्षों से अधिक समय से एक पक्के कमरे एवं एक कच्चे झूपे में [illegible] है तथा चारों तरफ कंटीली तार का आहता बनाया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 ने आलौच्य पट्टा अपने नाम से जारी करवाने में विधि अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी केवल मात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:18:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अप्रार्थी संख्या 2 के स्वामित्वशुदा परिसर में हक–हिस्सा हथियाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अभिकथित तथ्यों में कहीं पर भी प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा होने के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी उक्त पट्टा उपपंजीयक चौहटन के कार्यालय में भी पंजीबद्ध है तथा पंजीबद्ध दस्तावेजों को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा इस कारण विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र मिथ्या, निराधार, गलत एवं विधिविरूद्ध तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत रतासर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 05.04.2018 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 20 वर्षों से कब्जेशुदा भूखण्ड का नियम 157 में विनियमन करने हेतु निवेदन किया है। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण दर्ज कर 3 वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा सर्वे करने हेतु आदेशिका जारी की गई। ग्राम पंचायत की आगामी बैठक दिनांक 20.04.2018 में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होना आदेशिका में अंकित है। उक्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित भूमि पर अप्रार्थी के कब्जा व निर्माण के संबंध में कोई विशिष्ठियां अंकित नहीं हैं। इसके पश्चात दिनांक 20.04.2018 को सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस संबंधित स्थल एवं ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जाने का कोई विवरण अंकित नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त नोटिस का विधिवत रूप से सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने के प्रयोजन से प्रकाशन नहीं किया गया है बल्कि औपचारिक रूप से जारी कर शामिल पत्रावली रखी गई है। इसके पश्चात दिनांक 21.05.2018 को अप्रार्थी संख्या 2 के आवेदन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने पर प्रस्ताव संख्या 4 के द्वारा भूखण्ड का नियमन नियम 157 के तहत करने का निर्णय पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:18:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के संलग्न ग्राम पंचायत द्वारा गठित मौका कमेटी के सदस्य श्री जगमालाराम व श्री गोगाराम द्वारा शपथ–पत्रपूर्वक निवेदन किया है कि आलौच्य पत्रावली में उनके द्वारा कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं तथा उक्त पट्टा कूट रचना द्वारा जारी किया गया है। यह भी प्रकट किया है कि विवादित स्थल पर करीब 15 वर्षों से राजूराम पुत्र देरामाराम का ही कब्जा है। आलौच्य पट्टा विलेख नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है जो ऐसे परिवारों के कच्चे–पक्के कब्जे के नियमितिकरण से संबंधित है जिनका कोई मकान नहीं हों तथा ऐसी भूमि का पट्टा प्रारूप 23(ख) में परिवार की प्रमुख महिला के नाम से निःशुल्क जारी किया जाएगा। निगरानीधीन पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 मोडाराम के नाम जारी किया गया है तथा नियमितिकरण शुल्क रूपये 200/– जरिये रसीद संख्या 50 दिनांक 21.05.18 वसूल किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा विलेख नियम 157(1)(ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस प्रकार पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से यह कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आलौच्य पट्टा विलेख किस नियम के अधीन जारी किया गया है। ग्राम पंचायत की पत्रावली में उपलब्ध निरीक्षण रिपोर्ट पर वार्ड सदस्यों द्वारा अपने हस्ताक्षर होना इनकार किया है, साथ ही सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस विधिवत रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है एवं पट्टा विलेख निर्धारित प्ररूप में भी जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत रतासर द्वारा जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 24.05.2018 में उल्लेखित भूखण्ड का आलौच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में अपूर्ण प्रक्रिया, नियम विरूद्ध जारी किया गया है। जहां तक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 का अभिकथन है कि आलौच्य पट्टा विलेख [illegible] दस्तावेज है जिसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार [illegible] है हस्तगत निगरानी प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही [illegible] पारित संकल्प को सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:18:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में ग्राम पंचायत की कार्यवाही एवं पारित संकल्प के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के श्रवणाधिकार अन्तर्गत है। ग्राम पंचायत की पत्रावली में आवेदित भूमि के स्थल निरीक्षण की जो रिपोर्ट सम्मिलित की गई है उसमें अप्रार्थी संख्या 02 के कब्जे के संबंध में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है साथ ही उक्त आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 के स्वामित्व एवं कब्जे को वार्ड सदस्यों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ–पत्र में इनकार किया है। इस प्रकार पुराने कब्जे एवं आधिपत्य के साथ–साथ स्वामित्व दस्तावेजों के अभाव में ग्राम पंचायत रतासर द्वारा अनियमित, अविधिक एवं अपूर्ण कार्यवाही के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 4 दिनांक 21.05.2018 एवं उसके अनुसरण में की गई कार्यवाही निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत रतासर द्वारा बैठक दिनांक 21.05.2018 में पारित प्रस्ताव सं. 4 एवं उसके अनुसरण में की गई कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:18:56 IST
Reason: SelfAttested